राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 1(2)ग्रावि/नरेगा/मा.द./133428/2013 जयपुर, दिनांक : 29 DEC 2017

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
समस्त राजस्थान।

विषयः– **महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत Good Governance के तहत की गयी पहल पर कार्यवाही के संबन्ध में।**

सदर्भः– विभागीय पत्रांक दिनांक 03.08.2017, 04.09.2017, 01.11.2017, 27.11.2017 तथा 08.12.2017 एवं अ.शा. समसंख्यक पत्रांक दिनांक 04.11.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा **Good Governance** के तहत की गयी निम्न पहल पर कार्यवाही करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिए गए है।

1. **प्रत्येक कार्यस्थल** पर **स्थायी "नागरिक सुरक्षा बोर्ड"** लगाना,
2. **प्रत्येक ग्राम पंचायत पर 7 mandatory रजिस्टर का संधारण** करना,
3. प्रत्येक कार्यस्थल पर तथा ग्राम पंचायत में **कार्य की पत्रावली का संधारण,**
4. **नये जॉबकार्ड** जारी करना तथा इनका **नवीनीकरण, अद्यतन तथा सत्यापन** करना,

जिलों के भ्रमण के दौरान यह महसूस किया गया है कि महात्मा गांधी नरेगा योजना से संबन्धित कार्मिकों को उक्त के संबन्ध में जानकारी नही है। दिनांक 18.12.2017 को राज्य सरकार द्वारा योजना के प्रभारी अधिकारी अधिशाषी अभियन्ता (ईजीएस) की बैठक में उक्त के संबन्ध में प्रस्तुतीकरण के माध्यम से प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया है। प्रस्तुतीकरण की प्रति मेल द्वारा सभी जिलों को प्रेषित की जा चुकी है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार तथा राज्य सरकार का यह मत है कि उक्त के संबन्ध में योजना से संबन्धित सभी कार्मिकों मुख्य रूप से ग्राम रोजगार सहायक/कनिष्ठ लिपिक/ग्राम सेवक, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, कनिष्ठ तकनीकी सहायक, लेखा सहायक, आई.ई.सी. कार्मिक, सहायक अभियन्ता, कार्यक्रम अधिकारी सह विकास अधिकारी, लेखा एवं तकनीकी से संबन्धित सभी अधिकारी, अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक को पूर्ण जानकारी होनी चाहिये।

अतः इस संबन्ध में यह निर्देशित किया जाता है कि ग्राम पंचायत से लेकर जिला स्तर तक महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कार्यरत समस्त कार्मिकों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जावे। इस संबन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिशिचित की जावे :–

Scanned by CamScanner

1. प्रशिक्षण की कार्यवाही दिनांक 07.01.2018 तक पूर्ण की जानी है। इस अवधि तक प्रशिक्षण पूर्ण करने के लिए प्रशिक्षण कलैण्डर बनाया जाकर दिनांक 27.12.2017 तक राज्य सरकार को प्रेषित किया जावे।

2. प्रशिक्षण योजना से जुडे समस्त कार्मिकों को उपलब्ध कराया जावे।

3. प्रशिक्षण सुविधानुसार जिला स्तर अथवा पंचायत समिति स्तर पर कराया जा सकता है।

4. प्रशिक्षण पर होने वाला व्यय योजनान्तर्गत अनुमत प्रशासनिक मद से वहन किया जायेगा।

निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

This May kindly ensure it personally

भवदीय

(रोहित कुमार) 25/12/17
सचिव एवं आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
2. संयुक्त सचिव (महात्मा गांधी नरेगा), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
3. मुख्यालय के समस्त अधिकारीगण।
4. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, नरेगा एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
5. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला परिषद बाडमेर।
6. विकास अधिकारी सह कार्यक्रम अधिकारी, महात्मा गांधी नरेगा पंचायत समिति समस्त।

परि.निदे. एवं संयुक्त शासन सचिव, ईजीएस

Scanned by CamScanner